रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2004/वैशाख 3, 1926
No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2004/VAISAKHA 3, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2004

का.आ. 525(अ).—प्रतिपूरक वनीकरण, वनेत्तर उपयोग के लिए दी गई वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, इस संबंध में वसूल की जाने वाली अन्य धनराशि, प्राप्त एवं उपयोग की गई अन्य धनराशि से संबंधित मामलों की छानबीन के लिए केन्द्रीय शक्तिप्राप्त समिति (जिसे आगे सी ई सी कहा जाएगा) गठित की गई थी; और

सी ई सी ने इसके साथ-साथ यह पाया कि प्रतिपूरक वनीकरण आदि के लिए एक अलग कोष का सृजन वांछनीय है जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी राशियों को जमा किया जाएगा और बाद में जब कभी आवश्यकता होने पर कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही जारी कर दी जाए; और

सी ई सी की सिफारिशों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 में अन्तर्वर्ती आवेदन संख्या 566 में दिनांक 30-1-2002 के अपने आदेश में केन्द्रीय सरकार को सी ई सी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपाए करने के निर्देश दिए हैं;

और केन्द्रीय सरकार प्रतिपूरक वनीकरण निधि के प्रबंधन के लिए एक निकाय का गठन आवश्यक एवं लाभप्रद समझती है; अब, इसलिए,

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाए) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उच्चतम न्यायालय के 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में आई ए संख्या 566 में दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में और वन भूमि के वनेत्तर उपयोगों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुपालन में कोई अन्य वसूली योग्य धन के प्रबंधन के लिए इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (जिसे इसके बाद सी ए एम पी ए कहा जाएगा) नामक प्राधिकरण का गठन करती है।

2. सी ए एम पी ए में निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे और एक शासकीय निकाय एवं एक कार्यकारिणी निकाय के माध्यम से कार्य करेगी नामत: :—

2.1 शासी निकाय

(i)	पर्यावरण एवं वन मंत्री भारत सरकार	अध्यक्ष

(ii)	सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(iii)	वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(iv)	अपर वन महानिदेशक (वन) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(v)	अपर वन महानिदेशक (वन्यप्राणी) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(vi)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(vii)	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ और शिलांग क्षेत्र) और क्षेत्रीय वन संरक्षक, चण्डीगढ़	सदस्य
(viii)	छह प्रधान मुख्य वन संरक्षक छह क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्रमवार आधार पर वार्षिक रूप से नामित	सदस्य
(ix)	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(x)	एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक पारिस्थितिकीविद्, जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से न हो, एक समय में दो वर्ष के लिए, अधिक से अधिक लगातार दो बार	सदस्य
(xi)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ए एम पी ए)	सदस्य सचिव

2.2 **कार्यकारी निकाय**

(i)	वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	अपर वन महानिदेशक (वानिकी) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(iii)	अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)	सदस्य
(iv)	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य

(v)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	सदस्य
(vi)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.)	सदस्य
(vii)	एक व्यवसायिक पारिस्थितिकीविद्, जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से न हो, एक समय में दो वर्ष के लिए अधिक से अधिक लगातार दो बार	सदस्य

2.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी वन महानिरीक्षक के रैंक का अधिकारी होना चाहिए।

2.4 सी ई ओ के अतिरिक्त वन संरक्षक स्तर का एक संयुक्त सी ई ओ और उप वन संरक्षक रैंक के दो उप सी ई ओ होंगे, जो कार्यकारी निकाय की सहायता करेंगे। इन अधिकारियों की नियुक्ति सी ए एम पी ए द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षति मंजूरी मिलने के बाद प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाएगी जो पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी। शासी निकाय प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले उप वन महानिरीक्षक एवं सहायक वन महानिरीक्षक स्तर के पदों का सृजन कर सकता है। उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहमति से सी ए एम पी ए द्वारा निर्णित नियम एवं शर्तों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। सी ए एम पी ए की मांग पर केन्द्र सरकार अन्य आवश्यक स्टाफ और अधिकारी उपलब्ध करवाएगी।

3. शासी निकाय की शक्तियां एवं कार्य

शासी निकाय

(i) सी ए एम पी ए की व्यापक नीति फ्रेमवर्क की पुनरीक्षा करेगा।

(ii) सी ए एम पी ए द्वारा जारी निधियों की उपयोगिता की प्रगति की मानीटरिंग करेगा।

(iii) उपर्युक्त पैरा 2.1 के (iii) अनुसार प्राप्त निधियों से आय को छोड़कर स्थापना और पूंजीगत व्यय पर 10% की समग्र उच्चतम ब्याज से औसत आय की शर्त पर व्यय के लिए सी.ए एम पी ए के वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा।

(iv) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति।

(v) सी ए एम पी ए में उप वन महानिरीक्षक एवं सहायक वन महानिरीक्षक के समकक्ष स्तर के पदों के सृजन की शक्तियां प्राप्त होंगी।

(vi) सी ए एम पी ए की वार्षिक रिपोर्टों एवं लेखा परीक्षित लेखों का अनुमोदन करेगा।

4. बैठक

शासी निकाय की छः महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी।

5. कार्यकारी निकाय की शक्तियां एवं कार्य

कार्यकारी निकाय निर्णय लेगा–

(क) संविदा आधार अथवा प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की तैनाती का;

(ख) वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) वित्तीय अथवा प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना;

(घ) निधियों की प्राप्ति के संबंध में अन्य दिन प्रतिदिन के कार्य;

(ङ) निधियों का निवेश;

(च) शासी निकाय द्वारा वार्षिक बजट के अनुमोदन की शर्त पर कार्यालय आवास सहित स्थापना एवं परिव्ययों पर खर्च।

6.1 सी ए एम पी ए प्रतिपूरक वनीकरण निधि का अभिरक्षक होगा और निधि के संबंध में निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी नामत:

6.2 एक निधि गठित की जाएगी जिसे प्रतिपूरक वनीकरण निधि कहा जाएगा और इसे निम्नलिखित के खाते में जमा किया जाएगा —

(i) प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, कैचमैंट क्षेत्र उपचार योजना अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुपालन के लिए अनुबद्ध कोई अन्य शर्त (शर्तों) से प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन राशियां।

(ii) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पहले से जारी की गई खर्च न की गई निधि संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अथवा प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इस आदेश के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर सी ए एम पी ए को स्थानांतरित की जाएगी। अभी तक जारी न की गई और कोई प्रतिपूरक वनीकरण निधि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जारी की जाएगी और इसे सी ए एम पी ए को स्थानांतरित किया जाएगा।

(iii) उस मामले में प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल की गई निधि जहां वनेतर वनभूमि संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् जैवविविधता और वन्यजीव आदि के संरक्षण से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) की धारा 18, 26-क या 35 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आती है और वन्यजीव का अलग से रख-रखाव किया जाएगा।

(iv) गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वनेतर वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जो रिट याचिका (सी) 202/95 में आई.ए. सं. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30-10-2002 के आदेश के अनुसार जारी किया गया है।

(v) माननीय उच्चतम न्यायालय या केन्द्रीय सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसरण में प्राप्त किया जाने वाला धन।

6.3 निधि का प्रबंध

(i) सी ए एम पी ए द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि का भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर, सरकारी सुरक्षा, सरकारी बाण्ड और डिपोजिट में निवेश किया जाएगा।

(ii) सी ए एम पी ए के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन एंव भत्ता सहित सी ए एम पी ए के प्रबंधन के लिए अनावर्ती और आवर्ती लागत को पैरा 6.2 (iii) के अनुसार निधि से प्राप्त आय को छोड़कर सी ए एम पी ए द्वारा निवेश की गई निधि से प्राप्त ब्याज से प्राप्त आय के भाग से पूरा किया जाएगा।

(iii) स्वतंत्र मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पर किए गए व्यय का वहन सी ए एम पी ए द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना ऐजेंसी द्वारा निवेश निधियों पर ब्याज के रूप में हुई आय के माध्यम से किया जाएगा। इसमें पैरा 6.2 (iii) के अंतर्गत प्राप्त आय शामिल नहीं है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना एजेंसी अपने वार्षिक लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ बाह्य लेखा परीक्षा भारत के महालेखा परीक्षक की सूची में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराएगी और लेखा परीक्षक (ें) का चयन शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा।

6.4 निधियों का संवितरण

(i) प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण के लिए प्राप्त राशियों का प्रयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के वनेतर उपयोग हेतु प्रस्तावों के साथ-साथ राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त स्थल विशिष्ट स्कीमों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) एन पी वी हेतु प्राप्त राशि को प्राकृतिक सहायक पुर्नरुद्वार, वन प्रबंधन सुरक्षा, संरचना विकास, वन्यजीव बचाव एवं प्रबंधन, काष्ठ आपूर्ति एवं अन्य वन उत्पाद सुरक्षा उपकरण और संबंधित कार्यों पर उपयोग की जाएगी।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के या सुरक्षित क्षेत्रों में वनभूमि के वनेतर उपयोग के मामलों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में प्रायोगिक एजेंसियों से उगाही गई धन राशियों से एक निकाय गठित किया जाएगा और उससे होने वाली आय का विशेषकर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं संरक्षण कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में सी ए एम पी ए के पूर्वानुमोदन की शर्त पर निकाय भी कुछ भाग का उपभोग कर सकता है।

(iv) संबंधित राज्य और संघ शासित क्षेत्र द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति के माध्यम से सी ए एम पी ए संबंधित राज्य और संघशासित क्षेत्र को पूर्व निर्धारित किस्तों में राशियां जारी करेगी।

(v) पैरा 6.2 के अनुसार राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से सी ए एम पी ए में प्राप्त धन राशियों और सी ए एम पी ए द्वारा यथानुपात आधार पर स्थापना लागत, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पर किए गए व्यय को घटाने के उपरान्त उससे हुई आय को केवल उसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा।

6.5 कार्यों की मानीटिरिंग एवं मूल्यांकन

(i) सी ए एम पी ए द्वारा जारी राशियों का उपयोग करने वाले राज्यों में क्रियान्वित कार्यों की निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए निधियों के प्रभावी एवं उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और क्रियान्वित की जानी चाहिए और इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इस प्रयोजन के लिए शामिल किया जा सकता है।

(ii) सी ए एम पी ए को किसी भी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में सी ए एम पी ए निधियों के उपयोग से किए गए कार्यों के निरीक्षण एवं वित्तीय लेखा परीक्षण करने के आदेश देने की शक्तियां होंगी।

(iii) इस बात की संतुष्टि होने पर कि किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र को जारी राशियों का उपयुक्त उपयोग नहीं किया जा रहा, तो सी ए एम पी ए के कार्यकारी निकाय के पास जारी की जाने वाली शेष राशियों या उसके किसी भाग पर रोक लगाने अथवा निलंबन करने की शक्तियां होंगी।

6.6 अन्य कार्य

(i) सी ए एम पी ए प्रतिपूरक वनीकरण करने के लिए सी ई सी के परामर्श और जहां तक संभव हो उसकी सहमति से सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए, जिन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए वन भूमि की बार-बार आवश्यकता होती है, विशेष उद्देश्य वाहनों को स्थापित कर सकता है।

(ii) सी ए एम पी ए वन संरक्षण कार्यों के लिए धनराशि के अतिरिक्त स्रोतों को तैयार करने के लिए नई क्रियाविधि को शुरू करने और धनराशि की बेहतर संकल्पना और प्रबंध के लिए क्षमता और डाटा बेस सृजित करने पर विचार पर सकता है।

7. प्रत्येक राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश में नीचे दिए अनुसार एक संचालन समिति एवं एक प्रबंध समिति होगी जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

7.1 राज्य स्तर संचालन समिति :

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव (वन)	सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव (वित्त)	सदस्य
(v)	प्रधान सचिव (योजना)	सदस्य
(vi)	मुख्य वन्यजीव वार्डेन	सदस्य
(vii)	नोडल अधिकारी	सदस्य
(viii)	राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नामित एक प्रख्यात गैर सरकारी अधिकारी जो पुनर्नामांकन का पात्र होगा।	सदस्य
(ix)	मुख्य वन संरक्षक (योजना/स्कीम)	सदस्य-सचिव

7.2 राज्य प्रबंध समिति :

(i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य वन्यजीव वोर्डन	सदस्य
(iii)	मुख्य वन संरक्षक (योजना/स्कीम)	सदस्य
(iv)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में वित्तीय नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार	सदस्य
(v)	राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष की अविध के लिए नामित एक प्रख्यात गैर-सरकारी अधिकारी जो पूनर्नामांकन का पात्र होगा।	सदस्य
(vi)	नोडल अधिकारी	सदस्य-सचिव

8. राज्य संचालन समिति की शक्तियां और कार्य

संचालन समिति—

(i) सरल और नीति निर्णयों के लिए उत्तरदायी

(ii) अन्तरविभागीय समन्वय सुनिश्चित करना

(iii) अधिप्राप्ति के लिए विशेष मंजूरी प्रदान करने के लिए कदम उठाना

(iv) संचालन की वार्षिक योजना को सहमति प्रदान करना।

8.1 बैठक

संचालन समिति की बैठक छह महीने में एक बार अवश्य होगी।

9. राज्य प्रबंध समिति की शक्तियां और कार्य नीचे दिए अनुसार होंगे :

(i) विभिन्न कार्यों के लिए राज्य की प्रचालन वार्षिक योजना को तैयार करना जो पैरा 6.4 के अनुरूप होनी चाहिए।

(ii) (क) प्रस्तावित कार्यों और अनुमानित लागत का ब्यौरा देते हुए धनराशि जारी करने के लिए संचालन समिति की सहमति प्राप्त करने के बाद सी ए एम पी ए को वार्षिक प्रचालन योजना प्रस्तुत करना।

(ख) वार्षिक प्रचालन योजना में कुल वार्षिक व्यय के अधिकतम 2% उपरिव्यय पर खर्च और आकस्मिक व्यय शामिल होगा।

(iii) (क) सी ए एम पी ए से जारी धनराशि में से राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों से गुणात्मक और मात्रात्मक निरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) यह धनराशि की प्राप्ति और व्यय दोनों के उचित लेखापरीक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(iv) कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर लेखों के रख-रखाव के लिए कोड का विकास।

(v) सी ए एम पी ए को रिपोर्ट अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना।

10. राज्य प्रबंध समिति द्वारा धनराशि की प्राप्ति और संवितरण की प्रक्रिया का निर्णय सी ए एम पी ए द्वारा राज्य अथवा संबंधित संघ शासित प्रदेशों के साथ परामर्श से किया जाएगा।

11. सी ए एम पी ए केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करेगा।

12. सी ए एम पी ए का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में होगा।

13. सी ए एम पी ए का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. 5-1/98-एफ सी]

डॉ. वी. के. बहुगुणा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2004

S.O. 525(E).—Whereas, a Central Empowered Committee (hereinafter referred to as CEC) was constituted for examining the issues relating to compensatory afforestation, net present value of diverted forest land, other monies recoverable, received and utilized in this regard; and

Whereas, the CEC has inter-alia observed that it is desirable to create a separate fund for compensatory afforestation etc. wherein all the monies received from the user agencies are to be deposited and subsequently released directly to the implementing agencies as and when required; and

Whereas, the recommendations of the CEC have been accepted by the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble Supreme Court in its order dated : 30-10-2002 in Interlocutory Application No. 566 in Writ Petition (C) No. 202 of 1995 directed the Central Government to take necessary steps required for implementing the recommendations of the CEC;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to constitute a body for the management of compensatory afforestation funds; now, therefore,

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's order dated the 30th October 2002 in IA No. 566 in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as **Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (hereinafter referred to as CAMPA)** with effect from the date of publication of this order for the purpose of management of money towards compensatory afforestation, Net Present Value and any other money recoverable in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's order in this regard and in compliance of the conditions stipulated by the Central Government while according approval under Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) for non-forestry uses of the forest land.

2. The CAMPA shall consist of the following Chairperson and Members and shall function through a Governing body and an Executive body namely :

2.1 GOVERNING BODY:

(i)	Minister for Environment and Forests, Government of India	Chairperson
(ii)	Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(iii)	Director General of Forests and Special Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(iv)	Addl. Director General of Forests (Forests) Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(v)	Addl. Director General of Forests (Wildlife) Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(vi)	Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(vii)	Regional Chief Conservator of Forests (Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Lucknow and Shillong regions) and Regional Conservator of Forests, Chandigarh	Members
(viii)	Six Principal Chief Conservator of Forests one each from six regions—to be nominated annually by MOEF on rotation basis	Members
(ix)	Inspector General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(x)	An eminent professional ecologist, not being from the Central and State Government, for a period of two years at a time, for up to two consecutive terms	Member
(xi)	Chief Executive Officer (CAMPA)	Member Secretary

2.2. EXECUTIVE BODY:

(i)	Director General of Forests, and Special Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India	Chairperson
(ii)	Addl. Director General of Forests (Forests) Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(iii)	Addl. Director General of Forests (Wildlife)	Member
(iv)	Inspector General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(v)	Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Environment and Forests, Government of India	Member
(vi)	Chief Executive Officer (CEO)	Member
(vii)	A professional ecologist, not being from the Central and State Government, for a period of two years at a time, for up to two consecutive terms.	Member

2.3 The Chief Executive Officer (CEO) shall be an officer of the rank of Inspector General of forests.

2.4 In addition to the CEO, there shall be one Joint CEO of the level of Conservator of Forests and two Deputy CEOs of the rank of Deputy Conservator of Forests to assist the Executive Body. These officers shall be appointed by the CAMPA on deputation basis for a period not exceeding five years after obtaining required clearances from the competent authority in the Ministry of Environment and Forests. The Governing Body can create posts in

CAMPA at the level of Deputy Inspector General of Forests and Assistant Inspector General of Forests to be filled on deputation. They shall be appointed for a period not exceeding five years on terms and conditions to be decided by the CAMPA with the concurrence of the Central Government in Ministry of Environment and Forests.

3. POWER AND FUNCTIONS OF THE GOVERNING BODY :

The Governing Body shall—

(i) review the broad policy framework of the CAMPA;

(ii) monitor the progress of the utilization of funds released by the CAMPA;

(iii) approve the annual budget of CAMPA for expenditure subject to overall ceiling of 10% of the average income from interest etc. on establishment and capital expenditure excluding income from funds received as per para 6.2(iii);

(iv) appoint the CEO, Joint CEO and Deputy CEO;

(v) be empowered to create posts in CAMPA equivalent to the level of Deputy Inspector General of Forests and Asstt. Inspector General of Forests;

(vi) approve the annual reports and audited accounts of the CAMPA.

4. MEETINGS:

The Governing body shall meet at least once in six months.

5. POWERS AND FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE BODY:

The Executive Body shall decide—

(a) deployment of staff on contractual basis or on deputatioon;

(b) financial procedure;

(c) delegation of financial or administrative powers;

(d) other day-to-day working in respect of receipts of funds;

(e) investment of funds;

(f) expenditure on establishment and other overheads including office accommodation subject to the approval of the annual budget by the Governing Body.

6.1 The CAMPA shall be custodian of the Compensatory Afforestation Fund and shall have the following functions and powers relating to the Fund, namely:

6.2 There shall be constituted a fund to be called the Compensatory Afforestation Fund and there shall be credited thereto—

(i) Receipt of all monies from user agencies towards Compensatory Afforestation, Additional Compensatory Afforestation, Catchment Area Treatment Plan or for compliance of any other condition (s) stipulated by the Central Government while according approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(ii) The unspent funds already realized by the States/Union Territories shall be transferred to the CAMPA by the respective States/Union Territories or user agencies within six months from the date of the issue of this Order and any Compensatory Afforestation Funds which have not yet been realized shall be realized by the States and Union Territories and transferred to the CAMPA.

(iii) The funds recoverable from the user agencies in cases where forest land diverted falls within the protected areas i.e. areas notified under Sections 18, 26-A or 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) for undertaking activities related to protection of biodiversity and the Wildlife shall be maintained separately.

(iv) Net Present Value (NPV) of the forest land diverted for non-forestry purposes which may be realized pursuant to the Hon'ble Supreme Court's order dated 30-10-2002 in I.A. No. 566 in Writ Petition (C) No. 202 of 1995

(v) Money receivable in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court or the Central Government or any other competent authority authorised in this regard by the Central Government.

6.3 MANAGEMENT OF THE FUND:

(i) The amount collected by the CAMPA shall be invested in Reserve Bank of India, Nationalized Banks, Post Office, Government Securities, Government Bonds and deposits.

(ii) The non-recurring as well as recurring cost for the management of CAMPA including the salary and allowances payable to its officers and staff shall be met by utilizing a part of the income by way of accrued interest on the funds invested by the CAMPA excluding income from funds received as per para 6.2(iii).

(iii) The expenditure incurred on independent monitoring and evaluation shall be borne by the CAMPA out of the income by way of interest on the funds invested by the CAMPA excluding income from funds received as per para 6.2 (iii).

(iv) The CAMPA shall get the annual accounts audited internally as well as externally through chartered accountant(s) who are on the panel of the Comptroller and Auditor General of India and the auditor(s) shall be selected on the approval of the Governing Body.

6.4 DISBURSEMENT OF FUNDS:

(i) The money received for compensatory afforestation, additional compensatory afforestation may be used as per the site specific schemes received from the States and Union Territories alongwith the proposals for diversion of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980.

(ii) The money received towards Net Present Value (NPV) shall be used for natural assisted regeneration, forest management, protection, infrastructure development, wildlife protection and management, supply of wood and other forest produce saving devices and other allied activities.

(iii) Monies realized from the users agencies in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's orders or decision taken by the National Board for Wildlife involving cases of diversion of forest land in protected areas shall form the corpus and the income therefrom shall be used exclusively for undertaking protection and conservation activities in protected areas of the States and the Union Territories and in exceptional circumstances, a part of the corpus may also be used subject to prior approval of the CAMPA.

(iv) CAMPA shall release monies to the concerned State and Union Territory in predetermined instalments through the State Level Management Committee as per the Annual Plan of Operation (APO) finalized by the concerned State and the Union Territory.

(v) The monies received in CAMPA from a State or the Union Territory as per para 6.2 and the income thereon after deducting expenditure incurred by the CAMPA on its establishment cost, monitoring and evaluation on a prorata basis shall be used only in that particular State or the Union Territory.

6.5 MONITORING AND EVALUATION OF THE WORKS:

(i) An independent system for concurrent monitoring and evaluation of the works implemented in the States utilizing the funds released by the CAMPA shall be evolved and implemented to ensure effective and proper utilization of funds and services of the Regional Offices of the Ministry of Environment and Forests in this regard may also be utilized.

(ii) The CAMPA shall have the powers to order inspection and financial audit of works executed by utilizing CAMPA funds in any State or the Union Territory.

(iii) On being satisfied that the funds released to a particular State or the Union Territory are not being utilized properly, the Executive Body of the CAMPA shall have the power to withhold or suspend the release of remaining funds or part thereof.

6.6 OTHER FUNCTIONS:

(i) The CAMPA may establish Special Purpose Vehicles (SPV) for undertaking Compensatory Afforestation particularly by involving large public sector undertakings which frequently require forest land for their projects, in consultation and as far as possible with the concurrence of the CEC.

(ii) The CAMPA may also consider evolving new mechanism to generate additional sources of fund for forest conservation works and to create capacity and data base for better conceptualization and management of fund.

7. Every State or the Union Territory shall have a Steering Committee and a Management Committee consisting of the following Chairperson and Members namely :

7.1 STATE LEVEL STEERING COMMITTEE :

(i)	Chief Secretary	Chairperson
(ii)	Principal Chief Conservator of Forests	Member
(iii)	Principal Secretary (Forests)	Member
(iv)	Principal Secretary (Finance)	Member
(v)	Principal Secretary (Planning)	Member
(vi)	Chief Wildlife Warden	Member
(vii)	Nodal Officer	Member

(viii)	An eminent Non-Government Official to be nominated by the State Government for a period of two years at a time who shall be eligible for renomination.	Member
(ix)	Chief Conservator of Forests (Plan Schemes)	Member Secretary

7.2 STATE MANAGEMENT COMMITTEE :

(i)	Principal Chief Conservator of Forests	Chairperson
(ii)	Chief Wildlife Warden	Member
(iii)	Chief Conservator of Forests (Plans/Schemes)	Member
(iv)	Financial Controller/Financial Adviser in the Office of the Principal Chief Conservator of Forests	Member
(v)	An eminent Non-Government Official to be nominated by the State Government for a period of two years at a time who shall be eligible for renomination.	Member
(vi)	Nodal Officer	Member Secretary

8. POWERS AND FUNCTIONS OF THE STATE STEERING COMMITTEE :

The Steering Committee shall —

(i) facilitate and be responsible for policy decisions;

(ii) ensure inter departmental co-ordination;

(iii) take steps for grant of special sanction for procurement;

(iv) accord concurrence to the Annual Plan of Operation (hereinafter referred to APO).

8.1 MEETINGS :

The Steering Committee shall meet at least one in six months.

9. POWERS AND FUNCTIONS OF THE STATE MANAGEMENT COMMITTEE SHALL BE AS UNDER :

(i) Preparation of the Annual Plan of Operation (APO) of the State for various activities in conformity with para 6.4.

(ii) (a) Submission of the Annual Plan of Operation (APO) to the CAMPA after obtaining concurrence of Steering Committee for release of fund giving break up of the proposed activities and estimated cost.

(b) The Annual Plan of Operation (APO) may include the expenditure on overhead and contingency expenses upto a maximum of 2% of the Total annual expenditure.

(iii)(a) Qualitative and quantitative supervision of the works being implemented in the State out of the funds released from CAMPA.

(b) It shall also be responsible for proper auditing of both receipt and expenditure of funds.

(iv) Development of the code for maintenance of the account at implementing agency level.

(v) Submission of reports or clarifications to CAMPA.

10. The mechanism for receipt and disbursement of funds by the State Management Committee shall be decided by the CAMPA in consultation with the States or the Union Territories concerned.

11. The CAMPA shall function under the supervision of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

12. The jurisdiction of the CAMPA shall be the whole of India.

13. The Headquarter of the CAMPA shall be at New Delhi.

[F. No. 5-1/98-FC]

Dr. V. K. BAHUGUNA, Inspector General of Forests
(Forest Conservation)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.